रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215162
CG-DL-E-06012020-215162

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941
No. 68] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2020

का.आ. 70(अ).—भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 381(अ), दिनांकित 24 जनवरी 2019 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78 (नया रारा 43) के किमी 331.000 से कि.मी. 363.000 (सूरजपुर से अंबिकापुर) तक का खंड छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग को सौंपा है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 78 (नया रारा-43) के डिजाइन किमी 331.000 से किमी 363.000 तक खंड की निवल लंबाई 23.802 किमी 60% की आधार पर पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर निवल सडक खंड के लिए) और 8 किमी (100% की आधार दर पर चार लेन सेक्शन के उपयोग के लिए) के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर 1.980 किमी की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) (समकक्ष लंबाई 0.198 किमी) नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में

विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उदगृहीत करती है एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात्:-

सारणी-2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**सड़क लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के ग्राम पचिरा में राष्ट्रीय राजमार्ग -78 (नया रारा-43) के डिज़ाइन कि.मी. 348.860 पर	23.802 कि.मी. (60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	8 कि.मी. (60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) जिनकी लागत 10 करोड़ रु. अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:-

सारणी-3

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)**	**सड़क की समकक्ष लंबाई (कि.मी. में)**	**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के ग्राम पचिरा में राष्ट्रीय राजमार्ग -78 (नया रारा-43) के डिज़ाइन कि.मी. 348.860 पर	0.198^	1.98	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^ ब्यौरा निम्नानुसार हैं: -

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	349.101	349.299	मेजर ब्रिज	0.198
कुल				**0.198**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो, और वह शुल्क प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

4. राजमार्ग खंड पर बहु यात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका-4		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**मान्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है, उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खंड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं, उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 132.545 करोड़ रु. है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे

किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच/आरओ/सीजी/2019-20/टोल/437]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2020

S.O. 70(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 381(E) dated 24th January 2019 under Section 5, of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 331.000 to kilometer 363.000 (Surajpur to Ambikapur Section) of National Highway No. 78 (New National Highway No. 43) in the State of Chhattisgarh State PWD.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 (herein referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 60 % of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 23.802 Km. (for the use of two lane with paved shoulder) and at 100 % of base rate for 8.000 Km net road length (for use of four lane section) and at 60% of base rates for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.980 Km. (having length of 0.198 Km) on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below of Surajpur to Ambikapur Section from design kilometer 331.000 to kilometer 363.000 of National Highway No. 78 (New National Highway No. 43) in the State of Chhattisgarh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the fee Plaza for net road length specified for such fee Plaza(s) namely:

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design km. 348.860 of NH No. 78 (New NH No. 43) at village Pachira, Surajpur District in Chhattisgarh	23.802 (Excluding length of structure (>60m)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	8 Km (Excluding length of structure (>60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-3

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design km. 348.860 of NH No. 78 (New NH No. 43) at village Pachira, Surajpur District in Chhattisgarh	0.198^	1.98	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	349.101	349.299	Major Bridge	0.198
Total				**0.198**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five Only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 132.545 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH/RO/CG/2019-20/Toll/437]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.06 15:50:41 +05'30'